प्रेषक,

निदेशक,
उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 3760/डिग्री सेवा–1/प्राचार्य निर्देश/2025–26 दिनाँक 30 सितम्बर, 2025

विषयः महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के स्थानीय निकाय चुनाव ड्यूटी के कारण शीतावकाश (दिनांक 13.01.2025 से 25.01.2025 तक कुल 13 दिन) का उपभोग न किये जाने के एवज में प्रतिपूर्ति अथवा वैकल्पिक अवकाश विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कतिपय महाविद्यालयों द्वारा दीर्घावकाश (शीतावकाश) अवधि में स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्य में प्राचार्य एवं प्राध्यापकों की निर्वाचन ड्यूटी होने के कारण दीर्घावकाशों का पूर्णरूपेण उपभोग न कर पाने के कारण, उक्त अवधि में किये गये कार्य के एवज में प्रतिपूर्ति अथवा वैकल्पिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण शासन स्तर से दिशा–निर्देश की अपेक्षाओं के दृष्टिगत प्रशासकीय विभाग को संदर्भित किया गया।

तद्क्रम में शासन के पत्र संख्या 329953/XXIV-C-4/25–05(01)/2021 दिनांक 12 सितम्बर, 2025 द्वारा निर्देशित किया गया है कि दीर्घावकाश को ड्यूटी का ही पार्ट माना गया है, जिसके क्रम में महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के शीतवकाश के मध्य निकाय चुनाव की ड्यूटी को ड्यूटी का ही पार्ट माना जाना चाहिए, जिसके क्रम में सम्बन्धित प्राध्यापकों को उक्त निकाय चुनाव ड्यूटी के एवज में वित्तीय हस्त पुस्तिका में दीर्घावकाश के सम्बन्ध में उपबन्धित व्यवस्था के आलोक में विशेष अवकाश स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा समान प्रकरण में पूर्व में महाविद्यालय स्तर से स्वीकृत अवकाशों को ऋणात्मक करना सुनिश्चित करें। साथ ही भविष्य में दीर्घावकाश अवधि में निर्वाचन कार्य हेतु रोके जाने की स्थिति में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रो0 बी0एन0 खाली)
प्रभारी निदशक उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)